10/2021/आई**/97232/2021**फाईलनं0**. 10-22099/373/2021-22**

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 दिनांक 13 सितम्बर, 2021

विषयः- दिनांक 01-01-2016 के पूर्व लागू वेतन संरचना में स्वीकृत अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-03/2017-सा-3-99/दस-2017-308/2016 दिनांक 06 मार्च, 2017 द्वारा यह आदेश दिये गये है कि ऐसे पेंशनर्स जो तत्समय अपुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त वेतन के आधार पर स्वीकृत अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, की अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23-12-2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाये। दिनांक 23-12-2016 के शासनादेश में यह व्यवस्था है कि अपुनरीक्षित वेतनमान छठवें वेतन आयोग में आहरित अन्तिम वेतन के आधार पर स्वीकृत पेंशन की राशि में 2.57 का गुणा करके दिनांक 01-01-2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किया जाये।

2- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/49/16-पी0एण्डपी0डब्लू(ए) दिनांक 12-02-2018 द्वारा यह आदेश दिये गये है कि अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण कार्यालय ज्ञाप-संख्या-38/37/2016-पी0एण्डपी0डब्लू(ए) दिनांक 12-05-2017 की व्यवस्था के अनुसार किया जाये, तथा इस प्रकार पुनरीक्षित पेंशन एवं केन्द्र सरकार के पूर्व कार्यालय ज्ञाप-संख्या-38/37/2016-पी0एण्डपी0डब्लू(ए)(।।) दिनांक 04-08-2016 के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन (अर्थात अपुनरीक्षित पेंशन के 2.57 का गुणा करते हुये) में से जो अधिक हो वह पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी। भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12-05-2017 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01-01-2016 से पूर्व के पेंशनरों के अन्तिम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आहरित वेतन का पुनरीक्षण प्रकल्पित रूप से करते हुयें, दिनांक 01-01-2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जाये।

3- केन्द्र सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-02-2018 के अनुसार, राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-201/308/2016 दिनांक 18-07-2017 निर्गत किया गया है। जिसके प्रस्तर**-6** में यह व्यवस्था है कि शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23-12-2016 एवं उक्त शासनादेश (दिनांक 18-07-2017) के प्रावधानों के अधीन पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर पुनरीक्षित पेंशन के रूप में वह धनराशि अनुमन्य होगी जो अधिक हो।

4- अत: शासनादेश दिनांक 06-03-2017 में उल्लिखित श्रेणी के सेवानिवृत्त कार्मिकों की अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 12-02-2018 के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इन आदेशों तथा शासनादेश दिनांक 06-03-2017 के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने पर वह धनराशि जो अधिक हो, अनन्तिम पेंशन के रूप में देय होगी।

5- इस शासनादेश के अन्तर्गत कार्यवाही 03 माह के अन्दर पूर्ण कर ली जाय।

भवदीय,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-</u>

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in